न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 99/2018

1 श्योपाल पुत्र श्री गोरूराम आयु 70 साल
1/1 ग्यारसी देवी पत्नी श्योपाल उम्र व्यस्क
1/2 सुमेर सिंह पुत्र श्योपाल उम्र व्यस्क
1/3 सुप्यार देवी पुत्री श्योपाल उम्र व्यस्क
1/4 मिश्री देवी पुत्री श्योपाल उम्र व्यस्क
1/5 किरोसता पुत्री श्योपाल उम्र व्यस्क
2 ग्यारसीलाल पुत्र श्री भजना पौत्र गोरूराम उम्र 35 साल
3 सुजाता पुत्री भजनाराम पौत्री गोरूराम उम्र 30 साल
4 किश्तो पुत्री भजनाराम पौत्री गोरूराम आयु 33 साल
समस्त जाति अहीर निवासी बांकोटी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 बनवारी पुत्र भगवानाराम आयु 60 साल
1/1 कमला देवी पत्नी बनवारी उम्र व्यस्क
1/2 सज्जन कुमार पुत्र बनवारी उम्र व्यस्क
1/3 प्रमोद कुमार पुत्र बनवारी उम्र व्यस्क
1/4 सत्यवीर पुत्र बनवारी उम्र व्यस्क
1/5 शर्मिला पुत्री बनवारी उम्र व्यस्क
2 रेशमी पत्नी स्व. बीरबल
3 महेन्द्र पुत्र स्व. बीरबल
4 गिरधारी पुत्र स्व. बीरबल
5 मिन्टू पत्नी स्व. डेडराज पुत्रवधु स्व. बीरबल
6 सचीन पुत्र स्व. डेडराज नवीरा स्व. बीरबल
7 राहुल पुत्र स्व. डेडराज नवीरा स्व. बीरबल
8 इमानसी पुत्री स्व. डेडराज पोत्री बीरबल नाबालिग जरिये संरक्षक माता मिन्टू पत्नी डेडराज
समस्त जातिगण अहीर निवासीगण ढाणी बहलवान नगर तन बांकोटी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

9 पतासी देवी पुत्री बीरबल पत्नी बनवारी निवासी घासीकावाली ढाणी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

10 सन्तोष देवी पुत्री बीरबल पत्नी नागरमल समदपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

11 मीरा देवी पुत्री बीरबल पत्नी झाखड़ सिंह, निवासी बालवाड़ तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।

12 नानड़ पुत्र गोरूराम जाति अहीर निवासी बांकोटी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.। ना औलाद फौत

13 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

14 राजस्थान ग्रामीण बैंक जरिये ाखा प्रबंधक ाखा जसरापुर जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
विरूद्ध निर्णय व डिक्री बअदालत उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी
दावा उनवानी योपाल वगै. बनाम बनवारी वगै. दावा बाबत
घो ाणात्मक एवं खाता विभाजन मु.नं. 84/2014 निर्णय व
डिक्री दिनांक 29.06.2018

उपस्थिति :

1. श्री अमित कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

<u>–निर्णय–</u>

दिनांकः– 7/4/25

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 84/2014 में पारित निर्णय दिनांक 29.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्टस ने एक दावा बाबत घोषणात्मक व खाता विभाजन रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 14 के विरूद्व विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। इस दावे में रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 14 ही उपस्थित आये तथा रेस्पोडेन्टस संख्या 2 लगायत 13 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। दिनांक 29.06.2018 को न्यायालय ने उपरोक्त पत्रावली को लोक अदालत राजस्व कैम्प खेतड़ी में रख दिया। लोक अदालत राजस्व कैम्प खेतड़ी में दिनांक 29.06.018 को बिना पक्षकारों की उपस्थिति के इस प्रकरण में अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई तथा वाद वादी खारिज कर दिया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विधि अनुसार लोक अदालत में किसी प्रकरण का तभी निस्तारण हो सकता है जब कि दोनों पक्षकार उपस्थित हो एवं दोनों सहमत हो। इस प्रकरण में दिनांक 29.06.2018 को कैम्प खेतड़ी में ना हो तो पक्षकार उपस्थित थे एव ना ही अपीलान्टस अथवा अन्य किसी पक्षकार की सहमति थी। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा मनमाने रूप से कैम्प में ही अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी। विचारण न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय एवं प्रकियात्मक विधि के सिद्धांतो की पालना नहीं की है। अतः इस आधार पर भी निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2018 खारिज होने योग्य है। इस प्रकरण में विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 2 इस आधार पर अपीलान्टस के विरूद्ध तय की है कि खसरा नम्बर 677, 678, 679, 680 वाके ग्राम बांकोटी, तहसील खेतड़ी के राजस्व रिकार्ड में लगातार भगवाना पुत्र हीरा का नाम दर्ज है जबकि न्यायालय के सामने प्रदर्श 1 संवत 2017–20 एवं प्रदर्श–3 जमाबंदी संवत 2019–22 में विवादित जमीन स्पष्ट रूप से भगवाना व गोदू के दर्ज थे। अतः स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.06.2018 विरूद्ध पत्रावली एवं विरूद्ध पत्रावली एवं विरूद्ध साक्ष्य है। अतः इस आधार पर भी निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2018 खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29.06.2018 में वाद वादी पोषणीय नहीं होने के आधार पर खारिज किया है जबकि इस प्रकरण में तनकी बनाकर एवं वादी प्रतिवादी की साक्ष्य

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

लेकर गुणावगुण पर निर्णय दिया गया है। अतः स्पष्ट है कि वाद पोषणीय था। अतः विचारण न्यायालय द्वारा स्वयमेव विरोधाभाषी तथ्य अपने निर्णय दिनांक 29.06.2018 में दर्ज किये गय है जो कि विचारण न्यायालय के निर्णय को विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण बनाते है। अतः इस आधार पर भी निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2018 खारिज होने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि हीरा की वंशावली के अनुसार हिरा के दो पुत्र कमशः गोरू व भगवाना हुए। गोरू के भजना, श्योपाल, बीरबल, मदन, नानड़ तथा भगवाना नाऔलाद फौत हो गया उसने बनवारी को गोद ले लिया। प्रतिवादी संख्या 1 के कथनानुसार हीरा के दो नहीं बल्कि चार पुत्र थे कमशः चुना, रेखाराम, गोरूराम, भगवानाराम। गोरूराम के बीरबल, मदन, श्योपाल, नानड़ व बनवारी (गोद गया भगवाना के) हुए। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दर्ज हीरा की वंशावली में विरोधाभाष है। वादग्रस्त भूमि के गत खसरा नम्बर 347, 372/347 जमाबंदी संवत 2012–2015 भगवाना पुत्र हीरा अहीर सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है गत खसरा नम्बर 347, 347मी., 372/347 मी. से खसरा नम्बर 677, 678, 679, 680 निर्मित हुए है। उक्त खसरा नम्बर 677, 678, 679, 680 की खातेदारी संवत 2057–2060 तक निरन्तर भगवाना पुत्र हीरा जाति अहीर के नाम दर्ज रिकार्ड चली आ रही है तथा उसके पश्चात संवत 2065–2068 में बनवारीलाल पिता मुतबन्ना भगवाना जाति अहीर के नाम दर्ज रिकार्ड है। उसके बाद वर्तमान तक जमाबंदी संवत 2069–2072 खाता संख्या 130 खसरा नम्बर 677, 678, 679, 680 किता 4 रकबा 1.85 हैक्टेयर वाके ग्राम बांकोटी बनवारी लाल पिता मुतबन्ना भगवाना जाति अहीर निवासी ग्राम खातेदार राहित रा.ग्रा.बैंक शाखा जसरापुर मुर्तहीन दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार उक्त विवादित भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 तथा उनके हकपूर्वाधिकारियों का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा ना ही वर्तमान में है। विवादित भूमि के गत खसरा नम्बर 347 व 372/347 का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 का दत्तक पिता भगवानाराम था। भगवानाराम के पश्चात उसका दत्तक पुत्र बनवारीलाल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है। उक्त गत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

खसरा नम्बर 347 व 372/347 के हाल में 677, 678, 679, 680 किता 4 कुल रकबा 1.85 हैक्टेयर निर्मित हुए है जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी उक्त खातेदारी की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 5 बैंक के रहन कर रखी है। इस प्रकार उक्त विवादित भूमि में वादीगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि हीरा की वंशावली के अनुसार हिरा के दो पुत्र क्रमशः गोरू व भगवाना हुए। गोरू के भजना, श्योपाल, बीरबल, मदन, नानड़ तथा भगवाना नाऔलाद फौत हो गया उसने बनवारी को गोद ले लिया। प्रतिवादी संख्या 1 के कथनानुसार हीरा के दो नहीं बल्कि चार पुत्र थे क्रमशः चुना, रेखाराम, गोरूराम, भगवानाराम। गोरूराम के बीरबल, मदन, श्योपाल, नानड़ व बनवारी (गोद गया भगवाना के) हुए। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दर्ज हीरा की वंशावली में विरोधाभाष है। वादग्रस्त भूमि के गत खसरा नम्बर 347, 372/347 जमाबंदी संवत 2012–2015 भगवाना पुत्र हीरा अहीर सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है गत खसरा नम्बर 347, 347मी., 372/347 मी. से खसरा नम्बर 677, 678, 679, 680 निर्मित हुए है। उक्त खसरा नम्बर 677, 678, 679, 680 की खातेदारी संवत 2057–2060 तक निरन्तर भगवाना पुत्र हीरा जाति अहीर के नाम दर्ज रिकार्ड चली आ रही है तथा उसके पश्चात संवत 2065–2068 में बनवारीलाल पिता मुतबन्ना भगवाना जाति अहीर के नाम दर्ज रिकार्ड है। उसके बाद वर्तमान तक जमाबंदी संवत 2069–2072 खाता संख्या 130 खसरा नम्बर 677, 678, 679, 680 किता 4 रकबा 1.85 हैक्टेयर वाके ग्राम बांकोटी बनवारी लाल पिता मुतबन्ना भगवाना जाति अहीर निवासी ग्राम खातेदार राहित रा.ग्रा.बैंक शाखा जसरापुर मुर्तहीन दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार उक्त विवादित भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 तथा उनके हकपूर्वाधिकारियों का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा ना ही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

वर्तमान में है। विवादित भूमि के गत खसरा नम्बर 347 व 372/347 का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 का दत्तक पिता भगवानाराम था। भगवानाराम के पश्चात उसका दत्तक पुत्र बनवारीलाल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है। उक्त गत खसरा नम्बर 347 व 372/347 के हाल में 677, 678, 679, 680 किता 4 कुल रकबा 1.85 हैक्टेयर निर्मित हुए है जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी उक्त खातेदारी की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 5 बैंक के रहन कर रखी है। इस प्रकार उक्त विवादित भूमि में वादीगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। इसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 7/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी